

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 7 फरवरी, 2000 (माघ 18, 1921)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

- (1) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 (क्रमांक 2 सन् 1999), तथा
- (2) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अध्यादेश, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2000).

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास और पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

4. अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थापित होने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन अक्टूबर-नवम्बर, 1999 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 136 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में कृषकों को सोयाबीन व धान का उचित मूल्य एवं विक्रीत सोयाबीन का भुगतान न होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, निमाड़ क्षेत्र में कपास उद्योग ईकाइयों में आर्थिक संकट उत्पन्न होने की ओर वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समयावधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जावे."

9. सभापति तालिका की घोषणा.

10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सभापति, विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

11. शासकीय विधि विधायक कार्य

(1) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 (क्रमांक 40 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

12. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री बर्मजीत सिंह, सदस्य, द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं".

प्रोपल,
दिनांक 7 फरवरी, 2000

के.पी. सिबायी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.